

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन "ए" ग्रेड विश्वविद्यालय)
शैक्षणिक शाखा, समरहिल शिमला-5

नस्ति संख्या 7-1/2004 हि0प्र0वि0वि0 (शै.)

दिनांक 17 APR 2017

"अधिसूचना"

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.12.2016 में यथा स्थान प्रस्तुत मामलें पर शैक्षणिक सत्र 2016-17 से मार्क्स स्कीम लागू करने का निर्णय लिया गया जिसका सार निम्न प्रकार से है:-


"स्नातक स्तर पर सत्र 2016-17 से मार्क्स स्कीम मामले पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि स्नातक स्तर के समस्त पाठ्यक्रमों में मार्क्स स्कीम 70:30 के अनुपात में दर्शाई जाए। विज्ञान विषयों में भी जहां प्रैक्टिकल करवाया जाता है उन विषयों में थ्योरी (Theory) के 50 अंक प्रैक्टिकल (Practical) के 20 अंक एवं सी.सी.ए. (C.C.A.) के 30 अंक होंगे एवं अनुपात 70:30 (ESE & CCA) ही रहेगा।"



कुलसचिव
हि0प्र0वि0वि0शिमला-5
दिनांक: 17 APR 2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आगामी कार्रवाई हेतु:-

1. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सम्बन्धता प्राप्त सभी सरकारी/गैर सरकारी महाविद्यालय के प्राचार्य।
2. अधिष्ठाता अध्ययन, हि0प्र0वि0वि0 शिमला-5.
3. समस्त विभागाध्यक्ष, शिक्षण विभाग, हि0प्र0वि0वि0 शिमला-5.
4. परीक्षा नियंत्रक, हि0प्र0वि0वि0 शिमला-5.
5. निदेशक, बी.बी.ए./बी.सी.ए./आई.सी.डी.ओ.एल. हि0प्र0वि0वि0 शिमला-5/क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला, जिला कांगडा. हि.प्र./प्राचार्य, सांध्यकालीन महाविद्यालय, शिमला-1.
6. उप/सहायक कुलसचिव /अनुभाग अधिकारी, प्रशासन/ गोपनीय/ संचालन/ मूल्यांकन/ पुर्नमूल्यांकन/परीक्षा शाखा (स्नातक), हि0प्र0वि0वि0 शिमला-5.
7. वैब एडामेन, संगणक केन्द्र परीक्षा शाखा, हि0प्र0वि0वि0 शिमला-5 से आग्रह है कि उक्त अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड किया जाए।
8. विशेष निजी सचिव, कुलपति महोदय/कुलसचिव, हि0प्र0वि0वि0 शिमला-5.



कुलसचिव